सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— श्री अंशुल सिंह, R.A.S.

राजस्व प्रार्थना—पत्र संख्याः— 15/2017 दायर दिनाँक 13.04.2017

प्रार्थी		अप्रार्थीगण
1. तहसीलदार, डीडवाना जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. श्रीमती सीमा बुगालियां पत्नी दिनेश बुगालिया जाति जाट निवासी दयालपुरा 2. बनवारीलाल पुत्र गोमाराम जाति ब्राहम्ण निवासी डीडवाना 3. भंवरू हाफिज पुत्र फरीद खां जाति कायमखानी निवासी डीडवाना 4. श्रीमती खातुन बानों पत्नी नानू खां जाति कायमखानी निवासी डीडवाना 5. मीरू खां पुत्र नानू खां जाति कायमखानी निवासी डीडवाना 6. रूस्तम खां पुत्र नानू खां जाति कायमखानी निवासी डीडवाना 7. श्रीमती रहीसा बानों पुत्री नानू खां जाति कायमखानी निवासी डीडवाना 8. श्रीमती बानों पुत्री नानू खां जाति कायमखानी निवासी डीडवाना 9. अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका डीडवाना 10. नबी शेर पुत्र हुसैन खां जाति कायमखानी निवासी डीडवाना, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

प्रार्थना—पत्र

अन्तर्गत धारा 177 R.T. Act.

उपस्थितः—

1. तहसीलदार, डीडवाना प्रार्थी।
2. श्री अजीतसिंह वकील अप्रार्थी सं० 10 की ओर से।

—:: निर्णय ::—

दिनाँक 06.11.2019

प्रार्थना—पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि, प्रार्थी तहसीलदार डीडवाना ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 आर०टी०एक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया कि ग्राम डीडवाना के खसरा सं० 2168 रकबा 8.07 बीघा

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या–15 / 2017
दायर दिनॉक 13.04.2017 निर्णय दिनॉक 06.11.2019
तहसीलदार डीडवाना बनाम् सीमा बुगालिया, वगैरा।

किस्म बारानी प्रथम जो कि वर्तमान जमाबन्दी संवत 2070–73 में प्रतिवादीगण सं0 01 ता 08 के नाम दर्ज रिकार्ड है। हल्का पटवारी डीडवाना की मौका रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरा नम्बर की भूमि मौके पर प्लोटिंग किया हुआ है। उक्त भूमि रिकॉर्ड में खातेदारी भूमि है और इसका उपयोग कृषि कार्य में नही होकर अकृषि उपयोग हो रहा है। जो कि खातेदारी शर्तो का स्पष्ट उल्लघंन है। अतः आर.टी.ए. की धारा 177 के तहत उक्त भूमि की खातेदारी समाप्त कर सिवायचक दर्ज की जाने के आदेश प्रदान किये जावें।

प्रार्थना प्रार्थी है कि खसरा सं0 2168 रकबा 8.07 बीघा भूमि का जो कि वर्तमान में कृषि कार्य में नहीं होकर अकृर्षि उपयोग (प्लोटिंग किया हुआ है) उसे धारा 177 आर.टी.ए. के अन्तर्गत सिवाय चक दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 11.10.2019 को प्रार्थी नबी शेर खां ने अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी ने उक्त खसरा में से 02.01 बीघा भूमि क्रय की हुई है जिसे पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है। जिसके खसरा सं0 2168 रकबा 02.01 बीघा है। उक्त भूमि प्रार्थी द्वारा कृषि हेतु उपयोग में ली जा रही है। उक्त प्रकरण में प्रार्थी रिकॉर्डेड खातेदार है तथा तहसीलदार डीडवाना द्वारा प्रार्थी को पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतः उक्त प्रकरण में प्रार्थी नबी शेर को आवश्यक पक्षकार बनाया जावें।

वकील प्रार्थी नबी शेर को सुना गया। प्रार्थी नबी शेर पिता हुसैन खां का वाके सरहद डीडवाना के खसरा सं0 2168 में रकबा 02.01 बीघा हिस्सा है जो नामान्तरकरण संख्या 4793 दिनांक 23.09.2019 से जमाबन्दी रेकार्ड में प्रविष्ट हुआ है। अतः बाद बहस प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। प्रार्थी नबी शेर ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके सरहद डीडवाना के खसरा सं0 2168 रकबा 02.01 बीघा भूमि पर किसी प्रकार का कृषि से अकृषि कार्य नहीं किया है। किसी सक्षम अधिकारी से मौका रिपोर्ट मंगवाकर उक्त कार्यवाही ड्रॉप कराने का आदेश प्रदान करावें।

इस संबंध में तहसीलदार, डीडवाना से इस कार्यालय के पत्रांक 569 दिनांक 11.10.2019 के द्वारा मौका रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्रांक राजस्व / 2019 / 02 दिनांक 23.10.2019 के द्वारा मौका रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि खसरा सं0 2168 रकबा 02.01 बीघा पर किसी प्रकार का आवासीय / वाणिज्यिक निर्माण नहीं है तथा न ही किसी प्रकार की प्लाटिंग की गई है।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई।पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया। तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट अनुसार खसरा सं0 2168 रकबा 02.01 बीघा पर किसी प्रकार का आवासीय / वाणिज्यिक निर्माण नहीं है तथा न ही किसी प्रकार की प्लाटिंग की गई है। प्रार्थी नबी शेर द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी अनुसार खसरा सं0 2168 के कई टुकडे (बट्टा नम्बर) हो चुके है। जिसमें खसरा सं0 2168 रकबा 02.01 बीघा भूमि प्रार्थी

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या–15/2017
दायर दिनाँक 13.04.2017 निर्णय दिनाँक 06.11.2019
तहसीलदार डीडवाना बनाम् सीमा बुगालिया, वगैरा।

नवी शेर के कब्जे काश्त की है। जिस पर किसी प्रकार का कृषि से अकृषि कार्य नहीं हुआ है। चुंकि तहसीलदार डीडवाना ने खसरा सं0 2168 रकबा 08.07 बीघा का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 आर0टी0एक्ट0 के तहत पेश किया है। जबकि खसरा सं0 2168 के कई हिस्से हो गये है। खसरा सं0 2168 रकबा 02.01 बीघा पर किसी प्रकार का कृषि से अकृषि उपयोग नही हुआ है। अतः वाके सरहद डीडवाना के खसरा सं0 2168 रकबा 02.01 बीघा की कार्यवाही ड्रॉप किया जाना न्यायालय को उचित प्रतीत होता है। शेष बट्टा नम्बर, जो साबिक आराजी खसरा नं0 2168 रकबा 08.07 बीघा में से जरिये विक्रय, विरासत आदि से टूट कर अलग एवं कमतर रकबे के खसरान बने है ऐसे शेष बट्टा नम्बर आराजियात (साबिक आराजी नं0 2168 रकबा 08.07 बीघा से टूटकर बनने वाली आराजियात) की तहसीलदार डीडवाना जांच कर अगर कृषि का अकृषि उपयोग पाया जाता है तो धारा 177 आर0टी0एक्ट0 के तहत कार्यवाही अलग से प्रस्तावित करें।

–:: आदेश ::–

अतः वाके सरहद डीडवाना के खसरा सं0 2168 रकबा 02.01 बीघा पर कृषि का अकृषि उपयोग साबित नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। शेष बट्टा नम्बर, जो साबिक आराजी खसरा नं0 2168 रकबा 08.07 बीघा में से जरिये विक्रय, विरासत आदि से टूट कर अलग एवं कमतर रकबे के खसरान बने है ऐसे शेष बट्टा नम्बर आराजियात (साबिक आराजी नं0 2168 रकबा 08.07 बीघा से टूटकर बनने वाली आराजियात) की तहसीलदार डीडवाना जांच कर अगर कृषि का अकृषि उपयोग पाया जाता है तो धारा 177 आर0टी0एक्ट0 के तहत कार्यवाही अलग से प्रस्तावित करें।

(अंशुल सिंह)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 06.11.2019 को सरे इजलास में सुनाया गया।

(अंशुल सिंह)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner